

कार्यालय नगरपालिका परिषद, बालाघाट जिला-बालाघाट म.प्र.

Email:- cmobalaghat@mpurban.gov.in

दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विस्तृत जानकारी

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में दिनांक 30.01.2024 को पारित आदेश के अनुक्रम में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिये विज्ञापन क्रमांक 266 दिनांक 18/09/2024 प्रसारित किया गया है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 4/10/2024 कार्यालयीन समयावधि तक है।

| क्र | पदनाम | पद की श्रेणी | वेतनमान | दिव्यांगजानो के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तिया | | | | निर्धारित योग्यता |
|-----|-----------------------|---------------|----------------------|--|------------------------|---|--|---|
| | | | | दृष्टिबाधित / कमदृष्टि | बहरे एवं कम सुनने वाले | लोकोमीटर, डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित हैं, सेरिब्रल, पाल्सी, कुष्ठरोग, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कूलर डिस्ट्रोफी | आटिज्म, बौधिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग, डिसेबिलिटी और मानसिक बिमारी और बहुविकलांगता | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01 | सहायक राजस्व निरीक्षक | तृतीय श्रेणी | 19500-62000 (लेबल-2) | 01 | 01 | -- | -- | पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र (पूर्व 8 वी) |
| 02 | भृत्य | चतुर्थ श्रेणी | 15500-49000 (लेबल-1) | 01 | 01 | 01 | 01 | प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र |
| 03 | सफाई संरक्षक | चतुर्थ श्रेणी | 15500-49000 (लेबल-1) | 02 | 01 | 01 | 01 | पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र |

उपरोक्त पदों की पूर्ति के लिये विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है-

मुख्य शर्तें:-

- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जायें।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-36/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग- अनु.जा] अनु. जनजाति] अन्यपिछडा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था ds कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन /महिलाओ (अनारक्षित / आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
- दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रभाग पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्त कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि यह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/चैकलॉग के पदों पर आवेदन राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अंतर्गत नियुक्ति होंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहरिया / सहरिया, भारिया एवं वैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो. जो चयन के लिए आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्तानें हैं, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जायेंगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।
23. प्राप्त आवेदनों की जांच उपरान्त मेरिट के आधार पर वाक-इन-इंटरव्यू / साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जावेगा | उक्त की सूचना आवेदन द्वारा दी गई ई-मेल आई.डी प्रेषित की जावेगी |

दिनांक : 18/09/2024

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद बालाघाट
जिला-बालाघाट म.प्र. ।

!! आवेदन प्रारूप !!

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिशद बालाघाट
जिला-बालाघाट म.प्र. ।

स्व-प्रमाणित
पासपोर्ट साईज का
फोटो चस्पा करे ।

विशय:- पद.....वर्ग.....के लिये आवेदन ।

संदर्भ:- आपका विज्ञापन क्रमांक 266 दिनांक 18/09/2024 |

--00--

1. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम:-.....
2. आवेदक / आवेदिका के पिता/पति का नाम:-.....
3. आवेदक / आवेदिका की माता का नाम:-.....
4. आवेदक / आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र / हाई स्कूल की अंक सूची अनुसार)
वर्ष.....माह.....दिन..... ।
5. विज्ञापन प्रसारण के दिनांक (18/09/2024) को आयु
वर्ष.....माह.....दिन.....।
6. आवेदक / आवेदिका लिंग (पुरुष / महिला / अन्य):-.....
7. आवेदक / आवेदिका की जाति:-.....
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत:-.....
9. आवेदक/आवेदिका यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक -.....
10. जीवित संतानो का विवरण:-.....
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम:-.....
12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएँ:-

| क्र | परीक्षा का नाम | संस्था बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम | विषय | कुल अंक | प्राप्त अंक | प्रतिशत | श्रेणी |
|-----|----------------|--|------|---------|-------------|---------|--------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

13. पद हेतु अनुभव का विवरण:-.....
14. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण:-.....
15. वर्तमान पता (पिन कोड सहित)-.....
16. स्थाई पता (पिन कोड सहित)-.....
17. पत्राचार का पता (पिन कोड सहित)-.....
18. ईमेल आई.डी. (आवश्यक)-.....
19. मोबाईल नम्बर (आवश्यक)-.....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

!! घोषणा पत्र !!

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ ,कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है,यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है । कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे ।

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक:- 1.म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र । 2.रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन । 3.दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40 प्रतिशत) । 4.जाति प्रमाण पत्र । 5.जन्मतिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / हाई स्कूल की अंक सूची)